राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील डिक्री/2163/2003/जयपुर

1. वन प्रसार अधिकारी, सामाजिक वानिकि चौमूं, जिला जयपुर, प्रभारी अधिकारी ।
2. उप-वन संरक्षक, जयपुर पूर्व, वन विभाग, जयपुर
3. वनपाल सामोद, जिला जयपुर

-अपीलार्थीगण

बनाम

पुलिस थाना सामोद ग्रामीण, जिला जयपुर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

-प्रत्यर्थी

WR

खण्ड-पीठ
श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थितः-
श्री आर. के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री भवानी सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 21-12-2011

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 165/2002 में पारित निर्णय दिनांक 23-11-2002 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/वादी द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 8-9-99 को एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत

COMPARED BY

प्रतिलिपि 22/12/11
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सहायक कलक्टर, चौमूं के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सामोद तहसील चौमूं स्थित आराजी खसरा संख्या 1363/1 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा संख्या 1367/2 रकबा 0.23 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 हेक्टर भूमि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आदेश कमांक : 18/ए/94/96/ 11189-94 दिनांक 18-12-1996 के द्वारा थाना सामोद के भवन निर्माण हेतु आवंटित की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 3-9-98 पुलिस थाना सामोद के नाम खुल चुका है तथा नियमानुसार कब्जा भी दिया जा चुका है किन्तु प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर जबरन अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। इस पर सहायक कलक्टर, चौमूं ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30-1-2001 के द्वारा वादी का वाद एकतरफा डिक्री कर दिया। इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को भी राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23-11-2002 के द्वारा खारिज कर दी। इससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 2-5-2003 को प्रस्तुत की गई है।

3. यह अपील वर्ष 2003 से लम्बित है एवं इसमें अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आना अभी भी शेष है। चूंकि यह प्रकरण राजस्थान सरकार के ही दो विभागों के मध्य है तथा इसमें यह कानूनी बिन्दू निहित है कि क्या राजस्थान सरकार के ही दो विभागों के मध्य प्रकरण राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है ? अतः हम

Copy

COMPARED BY

सत्य प्रतिलिपि
22/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

न्यायहित में प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाये बिना ही निर्णित करना उचित समझते हैं।

4. इस संदर्भ में हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-2-2003 जो Chief Conservator of Forests, Government of A.P. Vs. The Collector & Ors. में पारित किया गया है तथा जो 2003(2) DNJ 462 पर प्रकाशित हुआ है को उदृत करना उचित समझते हैं -

(A) Constitution of India, 1950., Arts. 131, 226 & 300- Civil Procedure Code, 1908- Secs. 79 & 80- O. 27 R.1 & O.1 Rr. 9 & 10- Dispute between two departments of State with regard to title of land- Chief Conservator of Forest filed writ petition against order of Commissioner of Survey-"State not arrayed as party- Petition dismissed by High Court- Appeal - Whether maintainable- Held, No- Suit by or Government be filed in the name of Union or State Government as the case may be - Suit/" Writ between two departments of State not maintainable, so also the appeal there against (Para 16).

(B) Constitution of India, 1950- Arts. 131, 226 and 300- Civil Procedure Code, 1908-Secs. 79 & 80, O. 27 R. 1 & O. 1 Rr. 9 & 10- Suit/ writ between two departments of State Government-Not envisaged in Constitution or CPC- Such practice deterimental to public interest- Direction to constitute committee to settle inter departmental disputes given. (Para 14)

COMPARED BY

सत्य प्रतिलिपि
22/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

5. प्रकरण की प्रकृति को भली भांति स्पष्ट करने के लिए हम पैरा 16 एवं पैरा 14 का पूर्णतया उल्लेख करना भी उचित समझते हैं :-

Para 16:

Now, reverting to the facts of the case on hand, we are of the view that after the said statutory order of the Commissioner of Survey, Settlement and Land Record, the matter should have rested there. We have, therefore, no hestitation in coming to the conclusion that it was not only inappropriate but also illegal for the Chief Conservator of Forest, though he might have done so in all good faith, to have questioned the order of the Commissioner of Survey. Settlement and Land Record before the High Court of Andhara Pradesh in Writ Petition (C) No. 3414 of 1982. The Chief Conservator of Forests as the petitioner can neither be treated as the State of Andhara Pradesh nor can it be a case of misdescription of the State of Andhra Pradesh. The fact is that the State of Andhara Pradesh was not the petitioner. Therefore, the writ petition was not the petitioner. Therefore, the writ petition was not maintainable in law. The High Court, had it deemd fit so to do, would have added the State of Andhara Pradesh as a party; however, it proceeded, in our view errneously, as if the State of Andhara Pradesh was the petitioner which, as a matter of act, was not the case and could not have been treated as such. As the writ petition itself was not maintainable, it follows as a corollary that the appeal by the Chief Conservator of Forests is also not maintainable. We are unable to accept the contention of Ms. Amreswari that merely because the concerned officer had obtained the permission of the Government to file an appeal, which is not a placed before us, the writ petition and the appeal should be treated as an appeal by the Government of Andhara Pradesh. The permission granted to the concerned authority might be a permission to file an appeal in his own name, contrary to law. It could only be a permission to file the appeal in the name of the State of Andhara Pradesh in accoradnce with provisions of the Constitution and the CPC. We may also record that in spite of the Pattedars taking objection to that effect at the earliest, no steps were taken to substitute or implead the State of Andhara Pradesh in the writ petition in the High Court or in the appeal in this court.

COMPARED BY

सत्य प्रतिलिपि
22/12/11
निरीक्षक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

Para 14:-

Under the scheme of the Constitution, Art. 131 confers original jurisdiction on the Supreme Court in regard to a dispute between two states of the Union of India or between one or more States and the Union of India. It was not contemplated by the farmers of the Constitution or the CPC that two departments of a State or the Union of India will fight a litigation in a court of law. It is neither appropriate nor permissible for two departments of a State or the Union of India to fight litigation in a court of law. Indeed, such a course cannot but be detrimental to the public interest as it also entails avoidable wastage of public money and time. Various departments of the Government are its limbs and, therefore, they must act in coordination and not in confrontation. Filing of a writ petition by one department against the other by invoking the extraordinary jurisdiction of the High Court is not ony against the propriety and policy as it smacks of indiscipline but is also contrary to the basic concept of law which requires that for suing or being sued, there must be either a natural or a juristicperson. The States/ Union of India must evolve a mechanism to set at rest all inter-departmental controversies at the level of the Govenrment and such matters should not be carried to a court of law for resolution of the controversy. In the case of disputes between public sector undertaking and Union of India, this court in Oil & Natural Gas Commission Vs. Collector of Central Excise, 1992 Suppl. (2) SCC 432 called upon the Cabinet Secretary to handle such matters. In Oil & Natural Gas Commission and Anr. Vs. Collector of Central Excise, 1995 Suppl. (4) SCC 541, this court directed the Central Government to set up a committee consisting of representatives from the Ministry of Industry, the Bureau of Public Enterprises and the Ministry of Law, to monitor disputes between Ministry and Ministry of the Government of India, Ministry and public sector undertakings of the Government of India and public sector undertaking in between themselves, to ensure that no litigation comes to court or to a Tribunal without the matter having been first examined by the Committee and its clearance for litigation. The Government may include a representative of the Ministry concerned in a specific case and one from the Ministry of Finance in the Committee. Senior officers only should be nominated so that the Committee would function with status, control and discipline.

सत्य प्रतिलिपि
22/12/11
निरीक्षक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

6. उक्त दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि एक ही राज्य सरकार के दो विभागों में कोई विवाद बिन्दू हो तो कोई भी वाद/अपील न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है बल्कि ऐसे विवाद बिन्दू को राज्य स्तर पर गठित समिति के द्वारा ही निस्तारित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऐसी समिति का गठन किया हुआ भी है जिसमें अंतर्विभागीय विवादों का निस्तारण करने का प्रावधान रखा गया है तथा इस. समिति में संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव को सदस्य नामित किया हुआ है ।

7. हस्तगत प्रकरण भी राज्य सरकार के दो विभागों यथा वन विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य विवादित भूमि को लेकर है । एक तरफ पुलिस विभाग को यह विवादित भूमि जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गई है जिस पर पुलिस थाना का निर्माण किया जा चुका है तथा दूसरी तरफ वन विभाग इस पर स्वयं का आधिपत्य मानकर पुलिस विभाग का कब्जा हटाने की कार्यवाही कर रहा है जिस पर पुलिस विभाग द्वारा सहायक कलक्टर, चौमूं के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अंतर्गत स्थाई व्यादेश का दावा प्रस्तुत किया गया जबकि उन्हें इस विवाद के निपटारे के लिए स्वयं के विभागाध्यक्ष के माध्यम से उक्त समिति के समक्ष रखना चाहिए था ।

8. वर्तमान में सहायक कलक्टर, चौमूं के द्वारा उनके समक्ष वाद का निर्णय पुलिस विभाग के पक्ष में कर दिया गया तथा वन विभाग के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को खारिज कर देने के बाद वन विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में वर्ष 2003 में प्रस्तुत की गई, जो पिछले 8 वर्षो से

COMPARED BY

सत्य प्रतिलिपि
22/12/11
निरीक्षक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

लंबित है । इस प्रकार दोनों विभाग पिछले 13 वर्षों से न्यायालय में विवाद में उलझकर समय एवं धन का अपव्यय कर रहे हैं, जिसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता ।

9. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के मद्देनजर राज्य सरकार के दो विभागों के मध्य कोई भी वाद या अपील संधारण योग्य न होने से यह अपील खारिज की जाती है । साथ ही सहायक कलक्टर चौमूं के निर्णय दिनांक 8.9.1999 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2002 भी प्रारंभतः संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किए जाते हैं तथा दोनों विभागों को राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके मध्य अभी भी कोई विवाद बिन्दू हो तो अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से अंतर्विभागीय समिति के समक्ष रखवाकर विवाद का निस्तारण करवाएं । इस आदेश की एक-एक प्रति मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व तथा माननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को भी प्रेषित की जावे जिससे उनके स्तर पर सभी विभागों को पुनः निर्देशित किया जा सके कि अंतर्विभागीय विवादित प्रकरण चाहे वह भूमि के स्वामित्व के संबंध में भी क्यों न हो के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत न किया जा कर अंतर्विभागीय समिति के समक्ष ही निस्तारित हेतु प्रस्तुत किये जावें ।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21-12-2011
(बी.एल.नवल)
सदस्य

21-12-2011
(ताराचन्द सहारण)
सदस्य

COMPARED BY
22/12/11

सत्य प्रतिलिपि
22/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर